

प्रारंभिक परीक्षा

क्या राष्ट्रपति का संदर्भ किसी निर्णय को बदल सकता है?

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति संदर्भ पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या अदालतें राष्ट्रपति या राज्यपालों को राज्य विधेयकों पर एक निश्चित समय के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दे सकती हैं। इस मामले में विस्तृत सुनवाई अगस्त के मध्य में शुरू होगी।

मामले की पृष्ठभूमि: सर्वोच्च न्यायालय का अप्रैल 2025 का फैसला जांच के दायरे में -

- अनुच्छेद-143 के तहत राष्ट्रपति संदर्भ, तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2025 के फैसले के बाद आया है।
- न्यायालय ने माना कि राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 पुनः पारित राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में की गई देरी अवैध थी।
- पहली बार, न्यायालय ने राज्य विधेयकों पर कार्यवाही के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति पर न्यायिक समय-सीमाएँ लागू कीं।
- वर्तमान संदर्भ इस बात पर स्पष्टता चाहता है कि क्या न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपालों जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति की संदर्भ शक्ति -

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-143(1) राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 से प्रेरित होकर, इस प्रावधान का उपयोग स्वतंत्रता के बाद से कम से कम 14 बार किया गया है।
- न्यायालय केवल संदर्भित विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और उनसे आगे विस्तार नहीं कर सकता।
- अनुच्छेद-145(3) ऐसे मामलों की सुनवाई कम से कम पाँच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ द्वारा किए जाने का आदेश देता है।
- अनुच्छेद-143 में "कर सकता है" शब्द न्यायालय को किसी संदर्भ का उत्तर देने से इनकार करने का विवेकाधिकार देता है।
- विशेष न्यायालय विधेयक मामले (1978) में, न्यायालय ने इस विवेकाधिकार को स्पष्ट किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि इनकार करने के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।
- डॉ. इस्माइल फ़ारूकी बनाम भारत संघ (1994) में, न्यायालय ने माना कि विशेषज्ञ या राजनीतिक मामलों से जुड़े मामलों को अस्वीकार किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय अस्वीकृतियों में शामिल हैं:
 - अयोध्या विवाद (1993) - एक चल रहे दीवानी मामले के कारण अस्वीकार कर दिया गया।
 - जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास कानून (1982) - संदर्भ पर विचार किए जाने से पहले ही कानून बना दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय की प्रकृति -

- अनुच्छेद-141 केवल न्यायालय द्वारा घोषित "कानून" को ही बाध्य करता है; सलाहकार राय बाध्यकारी मिसाल नहीं हैं।
- सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य (1974) में, न्यायालय ने कहा कि सलाहकार राय का प्रेरक मूल्य होता है।
- हालाँकि, आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) में, सलाहकार राय के तर्क को बाध्यकारी माना गया था।

- कावेरी मामले (1991) में, सलाहकार राय को "उचित महत्व और सम्मान" दिया गया था, लेकिन बाध्यकारी नहीं बनाया गया था।
- वर्तमान संदर्भ से कोई भी राय अप्रैल 2025 के फैसले को रद्द नहीं कर सकती, लेकिन भविष्य के मामलों (जैसे, केरल, पंजाब) का मार्गदर्शन कर सकती है।

संदर्भ के माध्यम से अप्रैल 2025 के फैसले को संशोधित करने की गुंजाइश -

- पिछले फैसलों से स्पष्ट है कि अनुच्छेद-143 किसी दिए गए फैसले को पलट या उसकी समीक्षा नहीं कर सकता।
- केवल समीक्षा या उपचारात्मक याचिकाएँ ही तय फैसलों को चुनौती दे सकती हैं (कावेरी मामला)।
- हालाँकि, अनुच्छेद-143(1) के तहत, न्यायालय कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट या पुनः प्रस्तुत कर सकता है:
 - प्राकृतिक संसाधन आवंटन मामले (2012) में, न्यायालय ने मूल फैसले में कोई बदलाव किए बिना कानूनी तर्क को परिष्कृत किया।
 - 1998 में, एक संदर्भ ने 1993 के फैसले को अमान्य किए बिना कॉलेजियम प्रणाली को परिष्कृत करने में मदद की।
- वर्तमान संदर्भ अप्रैल के फैसले के दायरे को व्यापक संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट कर सकता है, न कि उसे पलट सकता है।

स्रोत: [द हिंदू](#)



वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index)

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार की सूचना दी है, जो वित्त वर्ष 2024 के 64.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 67% हो गया है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) के बारे में -

- **FI-INDEX** एक समग्र माप है जिसे पूरे भारत में वित्तीय समावेशन के स्तर पर नज़र रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार और क्षेत्रीय नियामकों (बैंकिंग, बीमा, पेंशन, आदि) के परामर्श से विकसित किया गया है।
- इसमें **पांच प्रमुख क्षेत्र** शामिल हैं: बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाएं और पेंशन।

स्कोरिंग प्रणाली -

- सूचकांक 0 से 100 के बीच स्कोर प्रदान करता है:
 - 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्कार को इंगित करता है।
 - 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन का प्रतिनिधित्व करता है।
- वित्त वर्ष 2025 के लिए **FI-INDEX 67** है, जो वित्त वर्ष 2024 के 64.2 से बेहतर है।

तीन मुख्य पैरामीटर -

1. **पहुँच (35%):**
 - वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को मापता है (जैसे, बैंक शाखाएं, एटीएम)।
2. **उपयोग (45%):**
 - वित्तीय सेवाओं (जैसे, ऋण, बचत, लेनदेन) के वास्तविक उपयोग को दर्शाता है।
3. **गुणवत्ता (20%):**
 - वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सेवा असमानताओं को दर्शाता है।

प्रमुख विशेषताएँ -

- वित्तीय पहुंच और व्यवहार के विविध पहलुओं को कवर करने वाले 97 संकेतकों पर आधारित।
- गुणवत्ता पैरामीटर एक अनूठी विशेषता है, जो समावेशन की गहराई और निष्पक्षता पर जोर देता है।
- यह सूचकांक संचयी है, अर्थात यह समय के साथ प्रगति को दर्शाता है, तथा इसमें आधार वर्ष का उपयोग नहीं किया जाता है।

रिलीज़ चक्र -

- **FI-INDEX** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा **प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रकाशित** किया जाता है।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](#)

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक(National Sports Governance Bill)-2025

संदर्भ

सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।

परिचय: राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 -

- केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पेश करने की योजना बना रही है।
- इस विधेयक का लक्ष्य पूरे भारत में खेल निकायों के प्रशासन में सुधार करना है।
- यह निम्नलिखित पर केंद्रित है:
 - नियामक पारदर्शिता
 - एथलीट-केंद्रित नीतियां
 - निष्पक्ष और समय पर विवाद समाधान
 - BCCI सहित राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) के कामकाज को सुव्यवस्थित करना।
- यह भारतीय खेलों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए मंत्रालय की भूमिका को "नियंत्रक" से "सुविधा प्रदाता" में परिवर्तित करने का प्रतीक है।
- इसका उद्देश्य खेल पारिस्थितिकी तंत्र में कानूनी विवादों और नौकरशाही बाधाओं को कम करना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान -

- एक **राष्ट्रीय खेल बोर्ड** की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की जाएगी:
 - राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को मान्यता देना या निलंबित करना
 - शासन मानकों और खिलाड़ी कल्याण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना
 - खेल निकायों के चुनावों की देखरेख करना
- बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - एक अध्यक्ष
 - केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य
- यह बोर्ड नैतिक शासन के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है और NSF को प्रशासनिक निगरानी प्रदान करता है।
- खेल-संबंधी कानूनी विवादों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण(NST) स्थापित किया जाएगा।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में
 - निम्नलिखित से संबंधित विवादों को संभालता है:
 - चुनाव
 - टीम चयन
 - NSF का आंतरिक प्रशासन
 - NST से अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही की जा सकेगी
- NST में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:
 - ओलंपिक, एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विवाद
 - अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों के अंतर्गत मामले
 - डोपिंग रोधी मामले (ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी - नाडा के अधीन रहते हैं)

स्रोत: [इंडियाटुडे](#)

पाइका विद्रोह

संदर्भ

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने NCERT की नई कक्षा-8 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक से 1817 के पाइका विद्रोह को हटाए जाने की कड़ी निंदा की है और इसे "एक बड़ा अपमान" करार दिया है। वहीं, NCERT ने स्पष्ट किया है कि यह घटना आगामी दूसरे खंड में शामिल की जाएगी।

पाइका: ओडिशा के योद्धा किसान -

- पाइका ओडिशा के पारंपरिक पैदल सैनिक थे, जो 16वीं शताब्दी से गजपति राजाओं की सेवा करते रहे थे।
- अपनी सैन्य सेवा के बदले में उन्हें वंशानुगत लगान-मुक्त भूमि दी जाती थी जिसे निश्कर जागीर कहा जाता था।
- ब्रिटिश नीतियों ने इन विशेषाधिकारों को नष्ट कर दिया, जिससे गहरा असंतोष और अशांति पैदा हुई।



ब्रिटिश विश्वासघात और खुर्दा का पतन (1803-1806) -

- 1803 में कर्नल हरकोर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पुरी और कटक पर कब्जा कर लिया।
- मुकुंद देव द्वितीय के साथ एक समझौता हुआ: सहयोग के बदले में ₹1 लाख और चार परगना।
- अंग्रेजों ने आंशिक रूप से इस समझौते को पूरा किया, ₹40,000 दिए लेकिन ज़मीन रोक ली।
- शाही संरक्षक जय राजगुरु ने विरोध में 2,000 पाइकाओं का नेतृत्व किया लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1806 में उन्हें फांसी दे दी गई।
- अंग्रेजों ने राजा को गद्दी से उतार दिया, बरुणई किले को ध्वस्त कर दिया, भूमि पर कब्जा कर लिया और राजा को पुरी निर्वासित कर दिया।

बढ़ती नाराजगी के कारण -

- जागीरों और शाही समर्थन के नुकसान ने पाइकाओं को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया।
- ब्रिटिश भूमि राजस्व सुधारों ने ओडिशा भूस्वामियों को विस्थापित कर दिया, तथा अनुपस्थित बंगाली जमींदारों को लाभ पहुंचाया।
- चांदी के रुपये पर कर लगाने से आदिवासियों और गरीब किसानों पर बोझ पड़ा।
- नमक व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण (1814 से) ने ग्रामीण संकट को और बढ़ाकर बना दिया, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में।


1817 का पाइका विद्रोह -

- मार्च 1817 में घुमुसर के लगभग 400 कोंध लोग पाइकाओं के साथ मिल गये।
- बख्शी जगबंधु बिद्याधर के नेतृत्व में विद्रोहियों ने एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया।
- प्रमुख घटनाएँ:
 - बानपुर पुलिस स्टेशन पर हमला
 - सरकारी इमारतों को जलाया
 - खजाने लूटे और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की
- विद्रोह पूरे ओडिशा में फैल गया लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया।
- जगबंधु कई वर्षों तक पकड़े जाने से बचते रहे और 1825 में बातचीत के आधार पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।

विरासत और आधुनिक राजनीतिक महत्व -

- पाइका विद्रोह को ओडिया गौरव और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
- 2017 में, ओडिशा ने मांग की कि इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857 से दशकों पहले) के रूप में मान्यता दी जाए।
- केंद्र ने इसे मान्यता तो नहीं दी, लेकिन इसे एक प्रमुख प्रारंभिक विद्रोह के रूप में स्वीकार किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में पाइका वंशजों को सम्मानित किया।
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 2019 में पाइका स्मारक की आधारशिला रखी।
- 2021 में, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कक्षा आठ की पाठ्यपुस्तकों में इसे शामिल करने की पुष्टि की।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](#)




बाल गंगाधर तिलक

संदर्भ

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के सेंट्रल हॉल में लोकमान्य तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में -

- पूरा नाम: केशव गंगाधर तिलक के रूप में जन्म; बाद में उन्हें लोकमान्य तिलक ("लोगों द्वारा श्रद्धेय") के नाम से जाना गया।
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक।
- उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी: "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा।"



स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक योगदान और भूमिका -

- उन्हें एक उग्र राष्ट्रवादी माना जाता था और अंग्रेजों ने उन्हें "भारतीय अशांति का जनक" कहा था।
- 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। एनी बेसेंट और जीएस खापर्डे के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग (1916-18) की सह-स्थापना की।
 - तिलक की लीग महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार में संचालित थी।
 - बेसेंट की लीग ने शेष भारत को कवर किया।
- स्वशासन और व्यापक राजनीतिक जागरूकता की वकालत की।
- हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौते (1916) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पत्रकारिता और साहित्यिक कार्य -

- राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए "केसरी" (मराठी) और "मराठा" (अंग्रेजी) समाचार पत्रों की स्थापना की।
- रचनाएँ:
 - "The Arctic Home in the Vedas" - एक सिद्धांत जो वेदों की आर्कटिक उत्पत्ति का प्रस्ताव करता है।
 - "श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य" - कारावास के दौरान लिखी गई भगवद्गीता की एक राष्ट्रवादी व्याख्या (1908-1914)।

शिक्षाविद् और संस्थान निर्माता -

- आधुनिक शिक्षा की शक्ति में गहरा विश्वास था।
- डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की सह-स्थापना की (1884)।
- न्यू इंग्लिश स्कूल और फर्गुसन कॉलेज की स्थापना में मदद की।
- फर्गुसन कॉलेज में गणित शिक्षक के रूप में काम किया।

समाज सुधारक -

- महिला शिक्षा का समर्थन किया, अस्पृश्यता उन्मूलन का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया।
- राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने के लिए धर्म और परंपरा का उपयोग किया।

लाल-बाल-पाल त्रिमूर्ति -

- एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी तिकड़ी का गठन किया:
 - लाला लाजपत राय
 - बिपिन चंद्र पाल
- साथ में, वे लाल-बाल-पाल समूह के रूप में जाने जाते थे, जो स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस के उग्रवादी चरण में सहायक थे।

कारावास -

- राजद्रोह के आरोप में कई बार जेल गए।
- सबसे लंबी जेल अवधि: 1908-1914, जिसके दौरान उन्होंने "गीता रहस्य" की रचना की।

स्रोत: [पीआईबी](#)



चंद्रशेखर आज़ाद

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके साहस और विरासत की प्रशंसा की।

चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में -

- 23 जुलाई, 1906 को भावरा, मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर तिवारी के रूप में जन्म।
- 15 वर्ष की आयु में गांधीजी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गये।
- विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अदालत को बताया कि उनका नाम "आजाद" (जिसका अर्थ है 'स्वतंत्र') है - यह नाम उन्होंने जीवन भर रखा।
- गांधीजी से मोहभंग: 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए जाने के बाद उनका मोहभंग हो गया।
- हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हुए, बाद में 1928 में इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में बदलने में मदद की।
- ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काम किया।
- प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियाँ:
 - काकोरी ट्रेन डकैती (1926)
 - वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास (1926)
 - लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या (1928)
- युवा प्रतिरोध का प्रतीक: अपने निडर नेतृत्व, रणनीतिक प्रतिभा और युवा प्रेरणा के रूप में स्थिति के लिए जाना जाता है।
- मृत्यु: 27 फ़रवरी, 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ के दौरान उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया। पकड़े जाने से इनकार करते हुए उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली।
- विरासत: आज़ाद बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक हैं, जो भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं।



स्रोत: पीआईबी

राजेंद्र चोल प्रथम

संदर्भ

संस्कृति मंत्रालय तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम में आदि तिरुवथिरई महोत्सव के साथ चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती मनाएगा।

राजेंद्र चोल प्रथम (जन्म 1014-1044 ई.) -

- उन्होंने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बढ़ाया।
- वे श्रीविजय साम्राज्य (आधुनिक इंडोनेशिया/मलेशिया) के लिए अपने नौसैनिक अभियान के लिए प्रसिद्ध, जिसने भारत की प्रारंभिक नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया।
- मास्की का युद्ध (1019-1020 ई.): पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय पर एक महत्वपूर्ण विजय।
- गंगा क्षेत्र में अपने विजयी अभियान के बाद गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की।
 - गंगा अभियान (लगभग 1022 ई.): यह उत्तर भारत का एक स्मारकीय स्थल अभियान था, जिसकी परिणति पाल राजा महिपाल की पराजय के रूप में हुई।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, गंगईकोंड चोलपुरम में राजसी बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया।

आदि तिरुवथिरई महोत्सव -

- आदि तिरुवथिराई (क्षेत्र और संदर्भ के आधार पर आदि पूरम या आदि पिरापु के रूप में भी जाना जाता है) एक तमिल शैव त्योहार है जो तमिल महीने आदि (जुलाई-अगस्त) में मनाया जाता है।
- यह भगवान शिव को उनके ब्रह्मांडीय नर्तक रूप - नटराज - में प्रदर्शित करता है।
- अनुष्ठानों में अभिषेकम (पवित्र स्नान), अलंगारम (सजावट) और विशेष पूजा शामिल हैं।
- चोलों द्वारा इसे पोषित और बढ़ावा दिया गया तथा तमिल शैव धर्म के पूजनीय संत-कवियों, 63 नयनारों के भक्ति भजनों के माध्यम से इसे जीवंत किया गया।

स्रोत: [पीआईबी](#)

समुद्र प्रचेत


संदर्भ

"समुद्र प्रचेत" को आधिकारिक तौर पर 23 जुलाई, 2025 को गोवा में लॉन्च किया गया।

इसके बारे में -

- दो स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोतों (PCV) में से दूसरा और अंतिम।
- स्वदेशी सामग्री: 72%
- विशेषताएँ और क्षमताएँ: सुसज्जित:
 - चलते समय तेल रिसाव को एकत्रित करने के लिए दो साइड-स्वीपिंग आर्म्स
 - तेल के धब्बों का पता लगाने के लिए उन्नत रडार
 - पूरे श्यानता स्पेक्ट्रम में तेल को संभालने के लिए प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण
 - दूषित पानी को पंप करने, प्रदूषकों का विश्लेषण/पृथक्करण करने और प्राप्त तेल को संग्रहीत करने के लिए ऑनबोर्ड सिस्टम

स्रोत: [पीआईबी](#)



समाचार संक्षेप में

कौशल त्वरक पहल (Skills Accelerator initiative)

समाचार? हाल ही में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने कौशल त्वरक पहल शुरू की है।
इसके बारे में -

- यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) तथा विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) के सहयोग से शुरू की गई है।
- **उद्देश्य:** समावेशी अपस्किлинг और रीस्किлинг (एआई, रोबोटिक्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में - शिक्षा को उद्योग की जरूरतों के साथ संरेखित करना), आजीवन सीखने में निवेश जुटाना और सरकार-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना (निजी क्षेत्र से 4 में से 2 सह-अध्यक्ष)।

स्रोत: पीआईबी



संपादकीय सारांश

महत्वपूर्ण खनिज की प्रतिस्पर्धा (The Critical Mineral Contest)

संदर्भ

महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर भारत की निर्भरता तथा प्रसंस्करण क्षमता की कमी के कारण रणनीतिक सुधारों की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व -

- **स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए रणनीतिक:** सौर पैनल, पवन टर्बाइन, ईवी बैटरी और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक।
 - भारत की ऊर्जा सुरक्षा और शुद्ध-शून्य महत्वाकांक्षाओं को सक्षम बनाना।
- **उन्नत विनिर्माण की रीढ़:** सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, रक्षा उपकरण और एयरोस्पेस के लिए महत्वपूर्ण।
- **डिजिटल और तकनीकी संप्रभुता को सक्षम बनाना:** एआई, डेटा सेंटर, उपग्रह, दूरसंचार और उच्च तकनीक उद्योगों को समर्थन प्रदान करना।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और राष्ट्रीय सुरक्षा:** राजनीतिक रूप से संवेदनशील आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से चीन की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करना।
- **आर्थिक विकास चालक:** मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और औद्योगिक विविधीकरण की संभावनाओं को खोलता है।
- **भू-राजनीतिक लाभ:** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला गठबंधनों (जैसे, क्वाड, जी20, खनिज सुरक्षा साझेदारी) में भारत की भूमिका के साथ संरेखित।

भारत में चुनौतियाँ -

- **महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूर्ण आयात निर्भरता:** लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा, निकल और सिलिकॉन के लिए 100% आयात पर निर्भरता।
- **अविकसित घरेलू संसाधन आधार:** अन्वेषण अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है; खनन क्षमता अप्रयुक्त या पारिस्थितिक रूप से सीमित है।
- **मध्यप्रवाह प्रसंस्करण बाधाएं:** सीमित शोधन और रूपांतरण क्षमता (जैसे, बैटरी-ग्रेड लिथियम या कोबाल्ट), जिसके कारण चीन पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- **नीलामी विफलताएं और कम निजी भागीदारी:** उच्च पूंजीगत लागत, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और कमजोर निवेशक विश्वास के कारण कई खनिज ब्लॉक नीलामियां रद्द कर दी गई हैं।
- **कमजोर आपूर्ति श्रृंखला:** चीन का प्रभुत्व (जैसे, दुर्लभ मृदा शोधन का 90%) और निर्यात प्रतिबंध भारत के विनिर्माण और ईवी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।
- **सामाजिक प्रतिरोध:** कई महत्वपूर्ण खनिज भंडार जनजातीय या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अपर्याप्त ईएसजी अनुपालन के कारण देरी, विरोध और कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।

समाधान और आगे की राह -

- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) को मजबूत करना:** निर्बाध निष्पादन, स्पष्ट जवाबदेही और मापनीय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **घरेलू अन्वेषण में तेजी लाना:** जीएसआई के नेतृत्व वाले सर्वेक्षणों में तेजी लाना और रणनीतिक भंडारों के लिए मंजूरी को सरल बनाना।
- **पीएलआई जैसे प्रोत्साहनों का उपयोग करना:** निजी खिलाड़ियों को मूल्यवर्धित प्रसंस्करण के लिए मिडस्ट्रीम सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना:** द्विपक्षीय सहयोग (जैसे, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना) का विस्तार करना और एमएसपी, क्वाड में भागीदारी को गहरा करना।

- **ESG फ्रेमवर्क को लागू करना:** अनिवार्य तृतीय-पक्ष ऑडिट, पर्यावरण सुरक्षा उपाय और सामुदायिक लाभ-साझाकरण मॉडल।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

